

हिमाचल प्रदेश सरकार

वन विभाग

No.- FFE-B-F(2)-4/2023

Dated: Shimla-171 002, the

24-06-2023

ORDER

Subject:- Diversion of 5.5363 ha of forest land in favour of HPPWD, for the construction of Bagsaid- Rahidhar, Kathyali, Dharwar, Dhanshal road km. 0/0 to 10/165, within the jurisdiction of Nachan Forest Division Distt. Mandi, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Road/18277/2016)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या: 8B/HP/06/146/2019/FC/217 दिनांक 05.06.2023 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 5.5363 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 11.0726 है0 वन भूमि ND-180 में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।
4. हि0प्र0 वन विभाग, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के WP (C) No. 202/1995 के अन्तर्गत जारी आदेश दिनांक 08.02.2023 की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
6. The H.P. Forest Department shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area

shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. **The copy of the compliance for the same alongwith documentary evidence be provided to the IRO, MoEF&CC, Govt. of India.**

7. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
8. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 153 Trees से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे।
9. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
10. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा आई आर सी मानदण्डों के अनुसार, सड़क के दोनों किनारों जहां-जहां सम्भव हो अपने व्यय पर वन विभाग की देख-रेख में Strip plantation की जाएगी।
11. संरक्षित क्षेत्रों/वन क्षेत्रों में निश्चित दूरी पर सड़क के साथ गति विनियमन साइनेज तथा गति-अवरोधक लगाए जाएंगे।
12. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
13. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
15. सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।

16. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
19. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. प्रयोक्ता अभिकरण पूर्वविर्दिष्ट स्थलों पर इस प्रकार मलवे का निस्तारण करेगा कि वह अनावश्यक रूप से तय सीमा से नीचे न गिरे। राज्य के वन विभाग के पर्यवेक्षण में तथा परियोजना की लागत पर, प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा उपयुक्त प्रजातियों के पौधे लगाकर मलवा निस्तारण क्षेत्र को स्थिर एवं पुनर्जीवित करने का कार्य किया जाएगा। मलवे को यथा स्थान रखने हेतु दीवारें बनाई जाएंगी। निस्तारण स्थलों को राज्य के वन विभाग को सौंपने से पूर्व, इनका स्थिरीकरण एवं सुधार कार्य योजनानुसार समयबद्ध तरीके से वन विभाग की देख-रेख में ही पूरा किया जाएगा। **मलवा निस्तारण स्थलों पर किसी भी वृक्ष का पातन नहीं किया जाएगा।**
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना हि0प्र0 वन विभाग/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

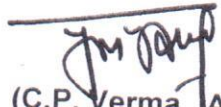
उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

ओंकार चन्द शर्मा
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above Dated: Shimla-171 002 the, 24-06-2023
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. The Regional Officer, Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF), H.P. with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Deputy Commissioner, Mandi District Mandi, Himachal Pradesh.
6. Divisional Forest Officer, Nachan Forest Division, District Mandi, H.P.
7. The Executive Engineer, HPPWD Division Gohar, District Mandi, H.P.
8. Guard File.


(C.P. Verma, IAS)

Special Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2620887

♦♦♦♦♦

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

No.- FFE-B-F(2)-11/2023 Dated: Shimla-171 002, the 24-June, 2023.

ORDER

Subject:- Diversion of 5.7027 ha of forest land in favour of HPSEB Ltd. for the construction of 66/22 KV 2x10 MVA Sub-Station Hatkoti alongwith 66 KV Single Circuit Line on D/C Tower from Hatkoti to Samoli Distt. Shimla HP, within the jurisdiction of Rohru Forest Division, Distt. Shimla, H.P. (Online Proposal No. FP/HP/Trans/37139/2019)-reg.

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या: FC/HPC/04/72/2022, दिनांक 13.04.2023 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 5.7027 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

3. प्रतिपूरक वनीकरण:

(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 11.5 है0 degraded वन भूमि UPF Sheroli, Saraswati Nagar Forest Range, Rohru Forest Division, Distt. Shimla, H.P. में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाये।

(ख) राज्य वन विभाग के परामर्श से प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर ट्रांसमिशन लाइन के RoW के नीचे बौने प्रजाति (अधिमानत: औषधीय पौधे) के सृजन एवं रखरखाव के लिए तैयार योजना का निष्पादन वन विभाग द्वारा किया जाएगा।

4. हि0प्र0 वन विभाग, माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली के WP (C) No. 202/1995 के अन्तर्गत जारी आदेश दिनांक 08.02.2023 की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बढ़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
6. The H.P. Forest Department shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the

proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. **The copy of the compliance for the same alongwith documentary evidence be provided to the IRO, MoEF&CC, Govt. of India.**

7. The User Agency at its cost shall provide bird deflectors, which are to be fixed on upper conductor of transmission line at suitable intervals to avoid bird hits.
8. The User Agency shall comply with the guidelines for laying transmission lines through forest area issued by Ministry vide letter No. 7-25/2012-FC, dated 05/05/2014 and 19/11/2014.
9. User Agency shall restrict the felling of trees to maximum **60 Trees** and **80 Saplings** in the diverted forest land and the trees shall be felled under the strict supervision of the State Forest Department and the cost of felling of trees shall be deposited by the User Agency with the State Forest Department. However, the possibility to reduce the number of trees must be explored and the State Forest Department shall constitute a Committee comprising Range Officer and Site Engineer in-charge and headed by the DFO concerned. The Committee shall examine the alignment at the time of execution of work and will recommend the removal of trees on case to case basis along the RoW of Transmission line after looking into the possibility of reducing the total number of trees to be affected. The DFO shall verify the enumeration and accordingly grant felling permission based on the actual requirement. DFO will submit the list of trees to IRO Shimla, granted felling permission by him and trees to be retained within two (2) months after execution of the project.
10. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
11. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार, प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।
12. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
13. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।

14. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
15. सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा का परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward, Backward bearings अंकित हो।
16. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
17. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
18. इस अनुमोदन में प्रत्यावर्तन की अवधि को प्रयोक्ता अभिकरण के पक्ष में मिली लीज की अवधि के साथ अथवा परियोजना की पूर्ण अवधि के साथ, जो भी कम हो, लक्षित किया जाएगा।
19. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना हि0प्र0 वन विभाग/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. Any other condition that the concerned Regional Office of the Ministry may stipulate from time to time in the interest of conservation, protection and development of forests & wildlife and the User Agency/State Forest Department may ensure compliance to provisions of all Acts, Rules, Regulations and Guidelines, for the time being in force, as applicable to this project.

24. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

ओंकार चन्द शर्मा
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No As above Dated: Shimla-171 002 the, 24-June, 2023.

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi – 110003.
2. Asstt. Inspector General of Forests, Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, C.G.O Complex, Shivalik Khand, Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF) with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
5. The Managing Director, HPSEB Ltd. Shimla, H.P.
6. The Deputy Commissioner, District Shimla, Himachal Pradesh.
7. Divisional Forest Officer, Rohru Forest Division, District Shimla, H.P.
8. Guard File.


(C.P. Verma, IAS)
Special Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2620887

♦♦♦♦♦

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

No.- FFE-B-F(2)-19/2023

Dated: Shimla-171 002, the 12,06, 2023

ORDER

Subject:- Diversion of 2.9011 ha of forest land in favour of HP Education Department, Directorate of Higher Education, Lalpani, Shimla, HP for the construction of Govt. Degree College Chokimaniar, Distt. Una, HP, within the jurisdiction of Una Forest Division Distt. Una, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/SCH/25090/2017)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या: 8B/FC/09/137/2019/161, दिनांक 06.04.2023 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 2.9011 है० वन भूमि के उपयोग के लिए विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।

2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।

3. प्रतिपूरक वनीकरण:

(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 580 trees in 2.9011 ha Non-forest land Shamlat Panjora in Chowki Beat, Ramgarh Forest Range and 2612 plants in 3.26 ha UPF Chak Khurwain, Beat Mo-maniar, Ramgarh Forest Range, Una Forest Division में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।

4. वन विभाग, हि०प्र० माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 के अन्तर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।

5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढ़ौतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।
6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 105 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पास पेड़ों की लागत जमा की जाएगी।
7. The H.P. Forest Department shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. **The copy of the compliance for the same alongwith documentary evidence be provided to the IRO, MoEF&CC, Govt. of India, Shimla.**
8. 2.9011 है० वन भूमि में प्रस्तावित प्रोजेक्ट के open to sky set back area component में जिसका क्षेत्रफल 0.1061 है० है तथा इसके अतिरिक्त कोई खाली क्षेत्र जो Layout plan में वर्णित component अतिरिक्त भी खाली रहता है पर greenery को maintain करते हुए प्रयोक्ता अभिकरण अपने व्यय पर पौध रोपण करेगा एवं उक्त एरिया में किसी भी प्रकार का स्थाई निर्माण सम्बन्धित कार्य, केन्द्र सरकार की पूर्व अनुमति के बिना नहीं किया जाएगा।
9. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
10. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।

11. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
12. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
13. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
14. सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward/Backward bearing अंकित होंगे।
15. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
16. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
17. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
18. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
19. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
20. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन

जरूरी अनुमति लेना हि0प्र0 वन विभाग/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।

21. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

ओंकार चन्द शर्मा
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

Endst. No. As above Dated: Shimla-171 002 the, 12/06/2023
Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. The Regional Officer, Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF), H.P. with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Director, Higher Education, Himachal Pradesh, Shimla.
5. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
6. The Deputy Commissioner, Una, District Una, Himachal Pradesh.
7. Divisional Forest Officer, Una Forest Division, District Una, H.P.
8. Guard File.

S/FCA

DRP(FCA)

APCCF(FCA)

26/06/23

Smt. Anjanaji
Please put up

06/07/23



(C.P. Verma, IAS)
Special Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2620887

हिमाचल प्रदेश सरकार
वन विभाग

No.- FFE-B-F(2)-18/2023

Dated: Shimla-171 002, the 12/06, 2023

ORDER

Subject:- Diversion of 1.09 ha of forest land in favour of Director Agriculture, Krishi Bhawan, Boileaugang, Shimla for the construction of Sabji Mandi Bagsaid at Charkufri, within the jurisdiction of Karsog Forest Division Distt. Mandi, Himachal Pradesh (Online Proposal No. FP/HP/Others/41128/2019)

भारत सरकार, पर्यावरण, वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, एकीकृत क्षेत्रीय कार्यालय, शिमला द्वारा वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 की धारा-2 के अन्तर्गत जारी स्वीकृति पत्र संख्या: 8बी./एच.पी./09/24/2021/एफ.सी./188, दिनांक 10.05.2023 के परिणामस्वरूप, राज्यपाल, हिमाचल प्रदेश उपरोक्त विषय में दर्शित 1.09 है0 वन भूमि के उपयोग के लिए विधिवत् स्वीकृति निम्नलिखित शर्तों पर प्रदान करते हैं:-

1. वन भूमि की विधिक स्थिति अपरिवर्तित रहेगी।
2. परियोजना के लिए आवश्यक गैर वन भूमि प्रयोक्ता अभिकरण को सौंपे जाने के बाद ही वन भूमि सौंपी जाएगी।
3. **प्रतिपूरक वनीकरण:**
(क) प्रयोक्ता अभिकरण की लागत पर वन विभाग द्वारा 2.18 है0 वन क्षेत्र Khasra No. 410, Muhal Kufridhar, Survey sheet No. H43F3, Karsog Block, Karsog Forest Division, Distt. Mandi, H.P. में प्रतिपूरक वनीकरण किया जाएगा। जहां तक व्यावहारिक हो, स्थानीय स्वदेशी प्रजातियों को लगाया जाए तथा प्रजातियों की एकल प्लांटेशन से बचा जाए।
4. वन विभाग, हि0प्र0 माननीय उच्चतम न्यायालय, नई दिल्ली द्वारा WP (C) No. 202/1995 के अन्तर्गत दिनांक 08.02.2023 को जारी आदेशों की अनुपालना सुनिश्चित करेगा।
5. शुद्ध वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) की दरों में अगर बढ़ोतरी होती है तो प्रयोक्ता अभिकरण बड़ी दरों पर एन.पी.वी. देने के लिए बाध्य होगा।

6. प्रयोक्ता अभिकरण प्रत्यावर्तित वन भूमि में पेड़ों की कटाई को न्यूनतम रखेगा जिनकी संख्या प्रस्ताव के अनुसार 39 पेड़ों से अधिक नहीं होगी एवं पेड़ राज्य वन विभाग के सख्त पर्यवेक्षण में कटेंगे। प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा वन विभाग के पास पेड़ों की लागत जमा की जाएगी।
7. The H.P. Forest Department shall ensure that the KML files of the area to be diverted, the CA areas, the proposed SMC work, the proposed Catchment Area Treatment area and the WLMP area shall be uploaded on the e-Green watch portal with all requisite details before issuing working permission towards linear projects or submitting compliance report for seeking Stage-II approval, as the case may be. **The copy of the compliance for the same alongwith documentary evidence be provided to the IRO, MoEF&CC, Govt. of India.**
8. It shall ensure that the setback area of 0.14479 ha. Including other vacant area of proposed site shall be planted with suitable indigenous species under supervision of State Forest Department at the cost of User Agency as per the separate CA Scheme submitted for the same.
9. HP Forest Department shall ensure that no residential component/structure shall be constructed other than the structures mentioned in the Layout Plan as per the Undertaking submitted alongwith Stage-I compliance by the State Government).
10. वन विभाग, हि0प्र0, यह सुनिश्चित करेगा कि प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा प्रस्तावित क्षेत्र के आस-पास रिक्त पड़े स्थानों पर जहां भी सम्भव हो अधिक से अधिक स्थानीय प्रजाति के वृक्षों को वन विभाग की देख-रेख में रोपित कर greenery को maintain किया जाए।
11. एफ.आर.ए., 2006 का पूर्ण अनुपालन सम्बन्धित जिला कलेक्टर से निर्धारित प्रमाण पत्र के माध्यम से सुनिश्चित किया जाएगा।
12. पर्यावरण (संरक्षण) अधिनियम, 1986 के प्रावधानों के अनुसार प्रयोक्ता अभिकरण पर्यावरणीय स्वीकृति (EC) यदि लागू हो तो प्राप्त करेगा।

13. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रस्ताव का ले-आउट प्लान नहीं बदला जाएगा।
14. वन भूमि एवं आस-पास की भूमि पर कोई भी श्रमिक शिविर स्थापित नहीं किया जाएगा।
15. प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा मजदूरों को राज्य वन विभाग अथवा वन विकास निगम अथवा वैकल्पिक ईंधन के किसी अन्य कानूनी स्रोत से पर्याप्त लकड़ी, विशेषतः वैकल्पिक ईंधन दिया जाएगा।
16. सम्बन्धित वन मण्डल अधिकारी के निर्देशानुसार, प्रत्यावर्तित वन भूमि की सीमा को परियोजना लागत पर आर.सी.सी. पिलर्स द्वारा सीमांकन किया जाएगा जिस पर Forward/Backward bearings अंकित हो।
17. परियोजना कार्य के निष्पादन हेतु निर्माण सामग्री के परिवहन के लिए वन क्षेत्र के अन्दर कोई अतिरिक्त या नया मार्ग नहीं बनाया जाएगा।
18. वन भूमि का उपयोग परियोजना के प्रस्ताव में विनिर्दिष्ट प्रयोजनों के अतिरिक्त अन्य किसी प्रयोजन हेतु नहीं किया जाएगा।
19. केन्द्र सरकार की पूर्वानुमति के बिना प्रत्यावर्तन हेतु प्रस्तावित वन भूमि किसी भी परिस्थिति में किसी भी अन्य एजेंसियों, विभाग अथवा व्यक्ति को हस्तांतरित नहीं की जाएगी।
20. परियोजना निर्माण से उत्सर्जित मलवे का निस्तारण प्रयोक्ता अभिकरण द्वारा केवल परियोजना स्थल पर ही किया जाएगा तथा इसके अलावा अन्यत्र मलवा नहीं फेंका जाएगा।
21. पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा वन एवं वन्यजीवों के संरक्षण व विकास के हित में समय-समय पर निर्धारित शर्तें लागू होंगी।
22. यदि कोई अन्य सम्बन्धित अधिनियम/अनुच्छेद/नियम/न्यायालय आदेश/ अनुदेश आदि इस प्रस्ताव पर लागू होते हैं तो उनके अधीन जरूरी अनुमति लेना हि0प्र0 वन विभाग/ प्रयोक्ता एजेंसी की जिम्मेवारी होगी।
23. अनुपालना रिपोर्ट ई-पोर्टल (<https://parivesh.nic.in>) पर अपलोड की जाएगी।

24. इनमें से किसी भी शर्त का उल्लंघन वन (संरक्षण) अधिनियम, 1980 का उल्लंघन होगा एवं पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के दिशानिर्देश फाइल संख्या 11-42/2017-FC दिनांक 29.01.2018 के अनुसार उस पर कार्रवाई होगी।

उपरोक्त शर्तों में से किसी भी शर्त का कार्यान्वयन सन्तोषप्रद नहीं पाए जाने पर मंत्रालय इस स्वीकृति को तत्काल प्रभाव से निरस्त कर सकता है। वन विभाग, हिमाचल प्रदेश के माध्यम से इन शर्तों की अनुपालना सुनिश्चित की जाएगी।

आदेशानुसार,

ओंकार चन्द शर्मा
प्रधान सचिव (वन)
हिमाचल प्रदेश सरकार

12/06/2023

Endst. No. As above Dated: Shimla-171 002 the,

Copy is forwarded for information and necessary action to :-

1. Additional Director General of Forests, MoEF, Indira Paryavaran Bhawan, Aliganj, Jorbagh Road, New Delhi - 110003.
2. The Regional Officer, Ministry of Environment, Forests & CC, Integrated Regional Office, Shimla, First & Second Floor, C.G.O. Complex Longwood, Shimla-171001 Himachal Pradesh.
3. The Pr.CCF (HoFF), H.P. with the request to ensure compliance of all conditions contained in the above order.
4. The Director, Agriculture, Himachal Pradesh, Krishi Bhawan, Boileauganj, District Shimla, H.P.
5. The Nodal Officer-cum- APCCF(FCA) O/o HPFD HQ, Talland, Shimla-1 for similar necessary action.
6. The Deputy Commissioner, Mandi, District Mandi H.P.
7. Divisional Forest Officer, Karsog Forest Division, District Mandi, H.P.
8. Guard File.

SI/FCA

DRD/PCA

APCCF(FCA)

26/06/23

Smt. Anjana
please put up
26/6/23



(C.P. Verma, IAS)
Special Secretary (Forests) to the
Government of Himachal Pradesh
Phone No. 0177-2620887
